

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
 नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
 क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
 लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत MBR, पम्प हाऊस एवं पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.8689 हेक्टेयर (पूर्व में आवेदित 0.95 हेक्टेयर) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/WATER/152376/2022 )

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB035/2022-BHO दिनांक 29.09.2023


----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	As per DSS analysis, after examination of full KML file of proposed diversion area about 8.15 km length of pipeline is falling in forest area and that area is not included in proposal. It shall be clarified / rectified.	प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रस्तावित क्षेत्र का पुनः मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण उपरांत प्रकरण में संशोधित KML file ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई है। प्रकरण में अब 0.950 हेक्टेयर के स्थान पर 0.8689 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।
2	It is also not clear that whether work has been carried out or not by User Agency in this 8.15 km of forest area. It shall be clarified.	वन मण्डलाधिकारी देवास ने अपने पत्र दिनांक 05.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि प्रकरण में प्रस्तावित स्थल का उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि परिक्षेत्र बागली एवं देवास में आवेदक संस्थान द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसे अवरूद्ध किया गया है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल यथास्थिति में है। उप वन मण्डलाधिकारी कन्दौर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वनक्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में 0.8689 हेक्टेयर वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय

  
(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 07/02/2024

पृ. क्रमांक/एफ-5/1149/2022/10-11/ 869  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
  2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, देवास, मध्यप्रदेश।
  3. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन्दौर, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

**कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)**

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक/DM/2023/8378

देवास, दिनांक 5/11/2023

प्रति,

वन संरक्षक  
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :- देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत MBR, पम्प हाऊस एवं पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.950 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबद्। (FP/MP/WATER/152376/2022)

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पृ. पत्र क्र/एफ-5/1149/2022/10-11/4895 भोपाल दिनांक 01.11.2023 ।

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु 2 बिन्दुओं की चाही गयी जानकारी निम्नानुसार सादर संप्रेषित है:-

1. As per DSS analysis, after examination of full KML file of proposed diversion area about 8.15 KM length of pipeline is falling in forest area and that area is not included in proposal. It shall be clarified/rectified.

उपरोक्त प्रकरण में प्रभावित समस्त वनक्षेत्र का मौका निरीक्षण कराया गया जिसके संबंध में उपवनमंडल अधिकारी बागली, उपवनमंडल अधिकारी देवास एवं उपवनमंडल अधिकारी कन्नौद द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें प्रभावित वनक्षेत्र एवं मौका स्थल के अक्षांश देशांश निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में कुल 0.861 हेक्टर वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

S.No.	Name of Component	Coordinate of Initial Point		Coordinates of End Point		Length in Mtr	Area in Heactares	Forest Range	
		Latitudes	Longitudes						
1.	MBR	22.70955304	76.44264981				0.09	Jinwani	
2.	Pump House	22.642791	76.798523				0.22	Kannod	
3.	Pipeline-1	22.695237	76.681255	22.699184	76.674093	855.79	0.0556	Panigoan	
4.	Pipeline-2	22.700737	76.669365	22.698544	76.649045	2099	0.1364	Pagigoan	
5.	Pipeline-3	22.712990 22.71532817	76.527044 76.49628695	22.715866 22.71547043	76.494061 76.49481475	3181.11 148.97	0.206 0.0096	Panigoan & Jinwani	
6.	Pipeline-4	22.7159699	76.48514137	22.71400788	76.4773291	887.60	0.0576	Jinwani	
7.	Pipeline-5	22.713576	76.465851	22.713421	76.463174	273	0.017745	Jinwani	
8.	Pipeline-6	22.71327181 22.70967211	76.45222094 76.44551508	22.71098965 22.70891375	76.44768633 76.44108105	565 575	0.0364 0.0370	Jinwani	
9.	Pipeline-7	जीपीएस का प्रारंभिक बिन्दु बीट अगुली पूर्व 781 से लगे राजस्य क्षेत्र का है जबकि अंतिम बिन्दु डबलचौकी देवास का होना पाया गया ।							Jinwani
10.	Intel of PH	22.643187	76.798733				0.00124	Kannod	
11.	Outlet PH	22.643223	76.798390				0.00136	Kannod	
<b>Total</b>						<b>8585.47</b>	<b>0.8689</b>		




2. It is also not clear that whether work has been carried out or not by User Agency in this 8.15 Km of forest area. It shall be clarified.

उप वनमण्डल अधिकारी कन्नौद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।

उप वनमण्डल अधिकारी बागली एवं देवास द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कार्य प्रारंभ किया गया था जिसे अवरुद्ध किया गया है ।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर संप्रेषित है ।


  
वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

देवास, दिनांक 25/12/23

प.क्रमांक / DM / 2023 / 8379

प्रतिलिपि -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।
2. महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित , परियोजना ईकाई, 562 गोयल विहार गेट नं. 2, खजराना, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

  
वनमण्डलाधिकारी  
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास